राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
6/2017 प्रार्थना पत्र	13.01.2017	03.05.2018

1– सीतादेवी पत्नि गोपालदास बैरागी निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
2– इन्द्रादेवी पत्नि कालूदास बैरागी निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां

––– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामकिशन पिता रतना मीणा नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
2– पुष्पा पत्नि रतना मीणा नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
3– तहसीलदार, फूलियाकलां
4– शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कादेड़ा जिला अजमेर

––– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम बड़ला प0ह0 बड़ला तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की आ0न0 604 रकबा 1.00 है0, आ0न0 614 रकबा 0.77 है0 कुल किता 02 रकबा 1.77 है0 होकर कब्जे काश्त मे 7 वर्षो से चली आ रही है। प्रार्थीगण की आराजीयात के बदिशा पूर्व की ओर आ0न0 590 रकबा 1.05 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज होकर सड़क बनी हुई है। इस सड़क के पश्चिम की ओर आ0न0 593 रकबा 0.27 है0 व आ0न0 594 रकबा 0.56 है0 व इससे लगी हुई पश्चिम की ओर आ0न0 2112/604 रकबा 0.20 है0 स्थित है। इन तीनों आराजीयात के बदिशा उत्तर की ओर प्रार्थीगण व इनके पूर्व मालिक अपनी आराजीयात पर कृषि उपकरण वर्षो से लाते व ले जाते रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने हेतु विपक्षीगण 1 लगायत 3 के खातेदारी अधिकार की आराजीयात के बदिशा उत्तर की ओर करीब 10 फिट चौड़ाई का रास्ता दिलाया जाकर नक्शे मे तरमीम कराई जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि जमा कराने को तैयार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये आ0न0 593 रकबा 0.27 है0 व इससे लगी हुई आराजी नम्बर 594 रकबा 0.56 है0 व इससे लगी हुई बदिशा पश्चिम की ओर आ0न0 2112/604 रकबा 0.20 है0 स्थित है। इन तीनों आराजीयात के बदिशा उत्तर की ओर 10 फिट चौड़ाई के रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि जमा कराने का आदेश प्रदान कर उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व नक्शें मे स्थाई रूप से दर्ज कराया जावे।

... संधारित किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया

वैकल्पिक रास्ता नही हो तो नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 03.05.2018 को केम्प बांसेड़ा पर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। आदेश की पालना मे तहसीलदार, फूलियाकलां द्वारा प्रस्ताव तैयार कर मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक तहसीलदार फूलियाकलां के प्रार्थीगण के खाते की आ0न0 604 व 614 कुल किता 2 रकबा 1.77 है0 पर मौके पर जाने का रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है। साथ ही तहसीलदार द्वारा बताया कि आराजी नम्बर 590 रकबा 1.05 है0 बिलानाम गै0मु0 सड़क मे से होकर आ0न0 593 रकबा 0.27 है0 के उत्तर दिशा की मेड़ के सहारे से होकर 10 X 137= 1370 वर्गफीट जो बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है मे से व आ0न0 594 रकबा 0.56 है0 जो विपक्षी रामकिशन पिता रतना 223 व पुष्पा बेवा रतना 1/3 मीणा सा0 देह के दर्ज भूमि मे से 10 X 269 = 2690 वर्गफीट से उत्तरी दिशा मे से होकर बिलानाम आ0न0 2112/604 रकबा 0.20 है0 के उत्तरी दिशा की मेर से 10 X 119 = 1190 भूमि से होकर प्रार्थी को रास्ता उपयोग हेतु दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। विपक्षी नं0 1 व 2 ने उक्त रास्ता रोक दिया है। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलां का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बड़ला पटवार हल्का बड़ला तहसील फूलियाकलां मे स्थित आ0न0 604 व 614 कुल किता 2 रकबा 1.77 है0 मे आने जाने हेतु आराजी नम्बर 590 रकबा 1.05 है0 बिलानाम गै0मु0 सड़क मे से होकर आ0न0 593 रकबा 0.27 है0 के उत्तर दिशा की मेड़ के सहारे से होकर 10 X 137= 1370 वर्गफीट जो बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है मे से व आ0न0 594 रकबा 0.56 है0 जो विपक्षी रामकिशन पिता रतना 2/3 व पुष्पा बेवा रतना 1/3 मीणा सा0 देह के दर्ज भूमि मे से 10 X 269 = 2690 वर्गफीट से उत्तरी दिशा मे से होकर बिलानाम आ0न0 2112/604 रकबा 0.20 है0 के उत्तरी दिशा की मेर से 10 X 119 = 1190 भूमि प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान मे प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि जमा कराये जाने एवं उक्त राशि अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 को भुगतान किये जाने के पश्चात् उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, फूलियाकला को दिये जाते है। नजरी नक्शा प्रमाणित प्रति निर्णय का हिस्सा रहेगा।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र बांसेड़ा पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रिपोर्ट पटवारी ह.न. ... कि. ...

———— x ———— x ————

प्रसंग: प्रकरण सं. 06/2017 धारा 251 L.R. एक्ट में
मु. श्रीमती देवी पत्नी ... दास जैमाली ... V/S
... ... निवासी बडला

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, ग्राम बडला
मौका निरीक्षण किया गया तो वादी के खातेदारी किता ख.नं. 604, 614 का
जाने का रास्ता नहीं है।

(1) वादी स्वयं के खातेदारी आराजी को $\frac{590}{1.05}$ में ... से
होकर ख.नं. $\frac{593}{0.27}$ के उत्तर दिशा की मेड़ के सहारे
से होकर 10×137 = 1370 वर्ग फिट जो विवादित ...
ख.नं. $\frac{594}{0.56}$ ... खातेदार प्रतिवादी ... 2/3 हिस्सा ... 1/3 ...
269 × 10 = 2690 वर्ग फिट ... उत्तरी दिशा ...
रकबा 0.20 के उत्तरी दिशा की मेड़ से 119 × 10 = 1190 वर्ग फिट
होकर ... है ...
... रास्ता ... परन्तु प्रतिवादी ...
... खातेदारी भूमि से रास्ता ...
... ...

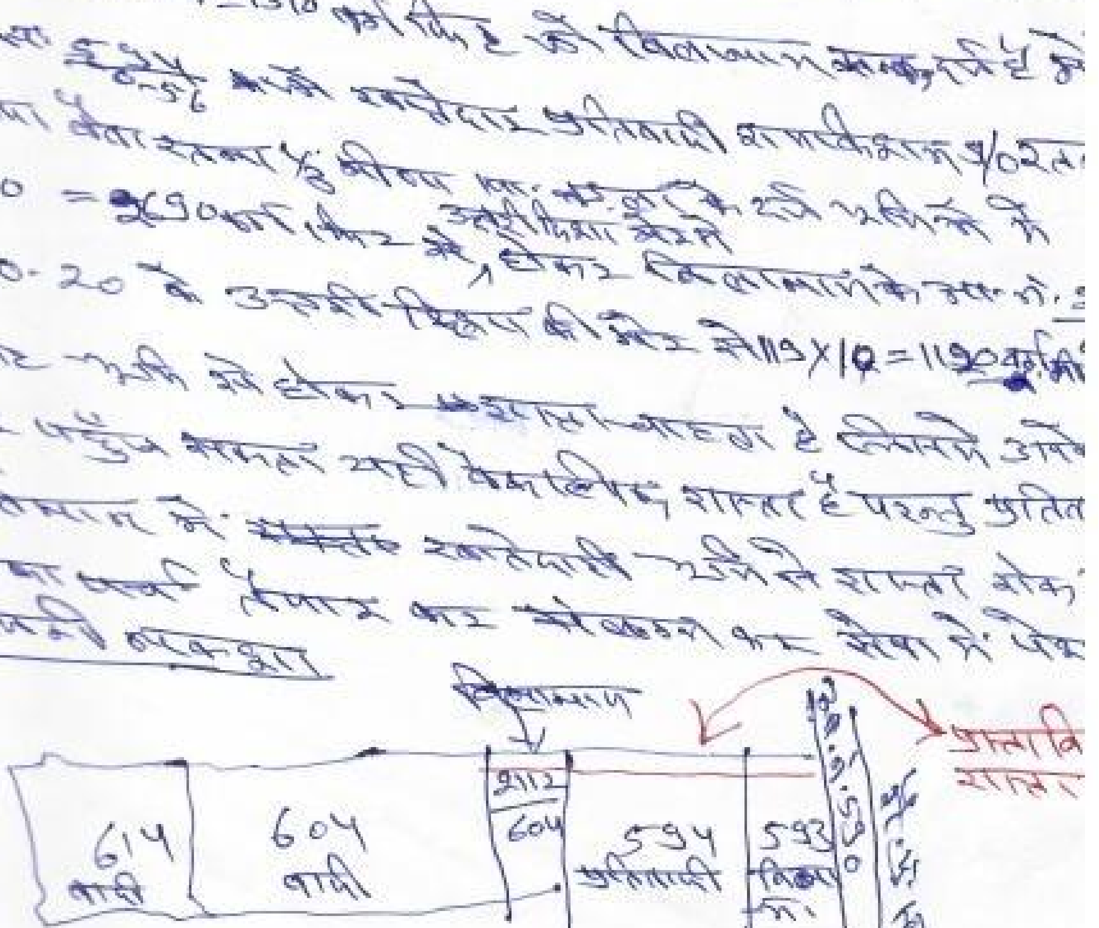

मौका नक्शा सलंग्न

Malu
ह. पटवारी